कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना//

सिंचाई कार्यालय के सामने, भगतसिंह चौक में स्थापित यूनीपोल पर विज्ञापन के अधिकार हेतु

क्रमांक 270 /भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2021 रायपुर दिनांक 06/07/2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत स्थित यूनीपोलों में विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में **दिनांक** 3/8/21 को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं (7) किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र। **लिफाफा 'ब' में** निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति, पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक** 4/8/21 **को अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
निविदा अवधि	03 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क्र.	यूनीपोल स्थल का नाम	साईज	संख्या/फेस	न्यूनतम आफसेट राशि (प्रथम वर्ष)	अमानत राशि
1.	**सिंचाई कार्यालय के सामने, भगतसिंह चौक**	**30'x30'**	**1**	20.00 लाख	1.00 लाख

टीपः– निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्ते एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र अन्तर्गत सिंचाई कार्यालय के सामने, भगतसिंह चौक स्थित यूनीपोल पर विज्ञापन करने का कार्य।

संदर्भ :— नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक............... दिनांक ....।

———000———

क.	यूनीपोल स्थल का नाम	साईज	संख्या / फेस	न्यूनतम आफसेट राशि (01 वर्ष)	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रू. में)
1.	सिंचाई कार्यालय के सामने, भगतसिंह चौक	30'x30'	1	20.00 लाख	

निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। **जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है।** मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :—

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :—

पूर्ण पता :—

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :—

अमानति राशि रू. 1.00 लाख के एफ.डी.आर. का विवरण :—

यूनीपोल पर विज्ञापन कार्य हेतु
आमंत्रित निविदा दिनांक 6/7/21 की शर्तें

1. निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा 'अ' (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। **लिफाफा 'ब'** में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। **लिफाफा 'अ' में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' (निविदा दर का लिफाफा) खोला जायेगा।**
2. निविदा हेतु जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम् दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा।
3. निविदा हेतु अमानती राशि रू. 1.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी किया गया हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. **यूनीपोल पर विज्ञापन का अधिकार के लिए निविदा 03 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् यूनीपोल स्वमेव नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित माना जायेगा।**
5. अनुबंध 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
6. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 20% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। समयावधि में इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से किराया लागू माना जावेगा।**
7. निविदा 03 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में **प्रथम वर्ष के लिए** भरनी होगी। **निविदा स्वीकार होने पर, स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 20% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना अनिवार्य होगा तथा शेष 80% राशि (30% + 30%+20%) 3–3 माह के अंतराल में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का पूर्ण किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा।** भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
8. यूनीपोल को जिस भी अवस्था में नगर निगम के द्वारा सफल निविदाकार को हस्तांतरित किया जायेगा, उस स्थिति में यदि मरम्मत संधारण की आवश्यकता होती है तो वह एजेंसी को अपने स्वयं के व्यय से करना होगा। साथ ही यूनीपोल का प्रतिवर्ष मरम्मत संधारण का कार्य भी सफल निविदाकार को करना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि नगर निगम से एजेंसी को देय नहीं होगी।
9. निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

क्रमशः पृष्ठ..... 02

11. यूनीपोल आंधी–तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकर को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबंध 50 रूपयें के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
12. यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
13. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा यूनीपोल में पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
14. अन्य दूसरें विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
15. निविदाकार एजेंसी स्थापित यूनीपोल में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
16. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
18. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार के एफ.डी.आर. को सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत, नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।
19. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
20. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर